

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा

अनुवान धनपत राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 616/2025

निर्णय दिनांक 22-12-2025

धनपत राम पुत्र माम चन्द जाति कुम्हार निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चूरु
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 33 के खसरा नं. 244/28 तादादी 1.4162 है0, खसरा नं. 245/42 तादादी 1.0748 है0 रोही ग्राम रेवासी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम धनपत पुत्र मामचन्द दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम धनपत राम पुत्र माम चन्द है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलय की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम धनपत पुत्र मामचन्द के स्थान पर धनपत राम पुत्र माम चन्द किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 33 के खसरा नं. 244/28 तादादी 1.4162 है0, खसरा नं. 245/42 तादादी 1.0748 है0 रोही ग्राम रेवासी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम धनपत पुत्र मामचन्द Delete कर इसके स्थान पर धनपत राम पुत्र माम चन्द अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-12-2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)